

फर्द अहककाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्री कैलाश पुत्र मांगू बलाई निवासी पुर वगैराह	बनाम	श्री बेणा पिता डूंगा बलाई मृतक के बजाय नानूराम पिता बेणा बलाई निवासी पुर व अन्य
--	------	--

धारा 111-128 एल0आर0एक्ट

मुकदमा 251 / 2022

26.05.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पोस्टासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर- 251/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उन्वान

- श्री कैलाश पुत्र स्व. मांगू बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
श्रीमति चादी पत्नि स्व. मांगू बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
श्री बशीलाल पुत्र स्व. मांगू बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
श्री भगवान लाल पुत्र स्व. मांगू बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
श्री राधेश्याम पुत्र स्व. मांगू बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
श्री रामचन्द्र पुत्र स्व. मांगू बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री बेणा पिता डूंगा बलाई(मृतक के बजाय वारिसान)
/1-नानूराम पिता बेणा बलाई
/2-प्यारचंद पिता बेणा बलाई
/3-गोपीलाल पिता बेणा बलाई सर्वनिवासी पानी की टंकी के बालाजी के पास पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. उदयराम दत्तक पुत्र नंदराम बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. गिरधारी पुत्र नारायण बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. चांदीबाई पत्नि नारायण बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. मगनी पुत्री नारायण बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. मदन पुत्र नारायण बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
7. सीता पुत्री नारायण बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
8. हरिकिशन पुत्र गंगाराम बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
9. गोपी पुत्र मूला बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
10. देबी पुत्र नारायण बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
11. देवीलाल पुत्र नारायण बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
12. रामा पुत्र नारायण बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
13. रामा पुत्र नारायण बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
14. शंकर पुत्र मूला बलाई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
15. महावीर पुत्र श्रवणलाल शर्मा निवासी समाज कल्याण छात्रावास के पीछे कंचन वाटर प्लांट के पास पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
16. मदनलाल पिता लालू अचारत निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 26.05.2022


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Report

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0मू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 8441 रकबा 0.7587 हैक्टेयर किता-1 रकबा 0.7587 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2073 ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 8441 रकबा 0.7587 हैक्टेयर किता-1 रकबा 0.7587 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएवं

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 8441 रकबा 0.7587 हैक्टेयर किता-1 रकबा 0.7587 हैक्टेयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 150/-रुपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थीगण जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक पुर 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 पुर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

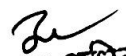
पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।



(ओम प्रभा)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा